न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 200/2021
GCMS NO. : 2021/370

–: प्रार्थीगण :–

1. लुणकरण पुत्र चम्पालाल
   जाति– जैन
2. मनीष पुत्र हेमराज
   जाति– सोनी

निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.)

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण
2. अध्यक्ष, नगर पालिका जैतारण, तहसील– जैतारण
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जैतारण, तहसील– जैतारण।
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण. जिला– ब्यावर(राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार चौधरी, डांवर राम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

तारीख रजूः. 09/11/2021

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः– 30/05/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में स्थित है प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 495/4 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा नम्बर 495/3 रकबा 0. 5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के प्रार्थीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि के उत्तरी तरफ मौके पर जैतारण कस्बे से कजावा की ओर 458 बाईपास जाने वाली डामर सड़क खसरा नम्बर 489 किस्म गै.मु. रास्ता वर्षो पूर्व से चल रही है जो सेटलमेन्ट के समय से कच्चे रास्ते के रूप में चल रही थी। जिसे कालान्तर में पक्की डामर सड़क बना दिया गया है जो वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के उत्तरी तरफ बिल्कुल पास से सट्टे/चिपते हुये निकलती है जो सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक मौके पर इसी अनुरूप चल रही है। प्रार्थीगण इसी डामर सड़क से होकर वादग्रस्त भूमि में आवागमन करते रहे है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि एवं इस डामर सड़क खसरा नम्बर 489 की वास्तविक मौका स्थिति का नजरी नक्शा इस कार्यवाही के साथ पेश है। जिसमें मार्क ए से बी के जरिये मौके पर चल रही डामर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण(

सड़क की मौका स्थिति को दर्शाया गया है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 489 किस्म गै.मु. रास्ता की डामर सड़क मौके पर मार्क ए से बी नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक मौके पर यथावत चल रही है लेकिन वक्त सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त रास्ता मौका स्थिति के माफिक तरमीम नहीं होकर प्रार्थीगण के वादग्रस्त खसरा नम्बर के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 490 रकबा 1. 6916 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि को दर्शाते हुए खसरा नम्बर 490 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 489 रास्ते को दर्शाया गया है। जबकि खसरा नम्बर 489 रास्ता इस कार्यवाही के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए से बी स्थल से चलता है व उसे उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 490 की जमीन मौके पर सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक स्थित है। जिसे राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 489 के उत्तरी तरफ की बजाय दक्षिणी तरफ गलती से एवं मौका स्थिति के विपरित दर्शाया गया है जो काबिल दुरूस्ती के है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 489 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि को मौके पर चल रही मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। साथ ही खसरा नम्बर 490 की भूमि को खसरा नम्बर 489 के दक्षिणी तरफ की बजाय उत्तरी तरफ मौका स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है व इस बाबत राजस्व नक्शे को भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से यह कार्यवाही बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी के सादर प्रस्तुत है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त वादग्रस्त भूमि के उत्तरी तरफ मौके पर चल रहे खसरा नम्बर 489 को राजस्व नक्शे में मौका स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने एवं इस बाबत राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने बाबत् दिनाँक 05.10. 2021 को पटवारी हल्का जैतारण व तहसीलदार जैतारण के यहां पर पेश होकर निवेदन किया तो अप्रार्थी तहसीलदार इस प्रकार की दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार हो गये एवं उन्होने कथन किया कि इसके बाबत् उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण से आदेश करावे तब ही हम इस बाबत राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करेगें। इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी के सादर पेश है। यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में ही स्थित है तथा नियमानुसार न्याय शुल्क भी इस प्रार्थना पत्र के साथ सादर पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं तहसीलदार, जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शा.मि. है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मय अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन कहां पर आई हुई है मौके पर किसका कब्जा है इसके सम्बन्ध मे जबाब देहन्दा का कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण की जमीन के पास में यदि पक्की सड़क आई हुई

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

है तो प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता नहीं है क्योकि प्रार्थीगण जो पक्की डामर सडक खसरा नम्बर 489 गै0मु0 रास्ता है उसका उपयोग-उपभोग कर सकते है एवं प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्त.अधि. का बअनवान शांतिदेवी व अन्य बनाम नगरपालिका जैतारण का वास्ते रास्ता कायम करवाने का प्रार्थनापत्र पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है और अब प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र कि प्रार्थीगण की आराजी के पास रास्ता है तो प्रार्थीगण द्वारा अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है। मौके पर यदि प्रार्थीगण की भूमि के पास रास्ता चल रहा है तो नये सिरे से दुरूस्त करवाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योकि जब प्रार्थीगण अपनी भूमि में खसरा नम्बर 489 गै0मु0 रास्ते का उपयोग-उपभोग कर रहे है तो अन्य किसी खसरा नम्बर जो कि प्रार्थीगण के मालिकाना हक के नहीं है और न ही प्रार्थीगण उनके खातेदार है। इसलिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 489 व 490 को दुरूस्त नहीं करवा सकते है क्योकि प्रार्थीगण उक्त दोनो खसरों के खातेदार नहीं है और जहाँ तक खसरा नम्बर 489 के तथ्यों की बात है तो खसरा नम्बर 489 गै0मु0 सडक है और जो काफी लम्बी चौडी सडक है जो सावर्जनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है एवं खसरा नम्बर 490 जो कि नगरपालिका जैतारण के अधिनस्थ है और जिसका क्षेत्रफल भी 1.6916 हैक्टयर है तो प्रार्थीगण जिनका इन दोनों खसरो में कोई हक अधिकार नही है तो उनको दुरूस्त नहीं करवा सकते है क्योकि खसरा नम्बर 490 नगरपालिका की अधिनस्थ भूमि है और उक्त भूमि को यदि दुरूस्त किया जाता है तो नगरपालिका की भूमि समाप्त हो जायेगी जबकि प्रार्थीगण को तो केवल आने जाने के लिये रास्ता चाहिये जो खसरा नम्बर 489 मे से चल रहा है और जिसको प्रार्थीगण ने भी मंजूर किया है कि इनकी भूमि मे आने जाने के लिये उनकी भूमि के पास मे ही सडक चल रही है तो अब नये सिरे से दुरूस्त करवाने के तथ्य बेबुनियाद है। यदि प्रार्थीगण नजरी नक्शे के अनुसार उक्त दोनो खसरो की दुरूस्ती करवाते है तो नगरपालिका की भूमि दो भागों मे विभाजित हो जायेगी। प्रार्थीगण ने जो नजरी नक्शा पेश किया उसमे अनुसार नगरपालिका की जमीन के बीचों बीच उन्होने रास्ता बताया है और यदि इस तरह से रास्ता निकाला जाता है तो नगरपालिका की जमीन विखण्डित होकर अलग-अलग हो जायेगी। जब प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने हेतु वर्तमान में रास्ता चल रहा है तो दुरूस्त करवाने का जो प्रार्थनापत्र है वो पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी जमीन के बारे में यदि कोई त्रुटि हो तो दुरूस्त करवा सकते हैं उनकी भूमि के मानचित्र मे कोई गलती हो तो उसको दुरूस्त करवा सकते है अन्य भूमिया जो उनके हक हिस्से की नही है उनके नाम का टाईटल नही है ऐसी भूमियों को प्रार्थीगण दुरूस्त नही करवा सकते है। मानचित्र के अनुसार नगरपालिका की जमीन मौके पर एकत्रित है और प्रार्थीगण ने दुसरे प्रकरण मे रास्ता कायम करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर रखा है और वह प्रार्थनापत्र पूर्ववर्ती है जब तक मूल प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं हो जाता है तब

तक यह प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रथम प्रार्थनापत्र धारा 251 क का पेश किया उसमे तथ्य अंकित किये कि उनकी जमीन मे जाने हेतू कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से उन्हे रास्ता दिलाया जावे और जबकि रास्ते के प्रार्थनापत्र के लम्बित रहने के दौरान प्रार्थीगण नया प्रार्थनापत्र लेकर आ गये उसमे नये तथ्य अंकित कर दिये कि मौके पर सडक चल रही है तो दोनो तथ्य दोनो प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध मे विरोधाभाषी है इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को कब प्रार्थनापत्र पेश किया उसका कोई दस्तावेजी सबुत साथ पेश नही किया है मात्र मनगढन्त तथ्य अंकित किये है। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी की भूमि से रास्ता लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रखा है तो दिनांक 05/10/2021 को मौका स्थिति के अनुसार तरमीम करने का प्रश्न ही नही उठता है। क्योंकि प्रार्थीगण कीक जमीन मे जाने हेतू जब कोई रास्ता नही है तो 251 क के जरिये रास्ता प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र लम्बित है उस प्रार्थनापत्र का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक कोई दुरूस्ती के प्रार्थनापत्र मे कोई अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त नही कर सकते है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है इसलिए मय खर्चा खारिज फरमावें ।

अप्रार्थी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब प्रा0पत्र में कथन किया कि खसरा नम्बर 495/3, 495/4 वादीगण की खातेदारी भूमि है। राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण के खसरा नम्बर 495/3, 495/4 के समीप उत्तरी दिशा में नगरपालिका जैतारण की खसरा नम्बर 490 भूमि स्थित है। इसी नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 490 में पक्की डामर सड़क एनएच458 की तरफ जाती है, जो कि वादीगण के खसरा नम्बर के लगते हुये है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 489 गै.मु. रास्ता नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 490 के उत्तरी दिशा पर स्थित है। किन्तु मौके पर रास्ता नगरपालिका की भूमि पर चल रहा है।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित है प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 495/4 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा नम्बर 495/3 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के प्रार्थीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि के उत्तरी तरफ मौके पर जैतारण कस्बे से कजावा की ओर 458 बाईपास जाने वाली डामर सड़क खसरा नम्बर 489 किस्म गै.मु. रास्ता वर्षो पूर्व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

से चल रही है जो सेटलमेन्ट के समय से कच्चे रास्ते के रूप में चल रही थी। प्रार्थीगण इसी डामर सड़क से होकर वादग्रस्त भूमि में आवागमन करते रहे है। लेकिन वक्त सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त रास्ता मौका स्थिति के माफिक तरमीम नही होकर प्रार्थीगण के वादग्रस्त खसरा नम्बर के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 490 रकबा 1.6916 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि को दर्शाते हुए खसरा नम्बर 490 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 489 रास्ते को दर्शाया गया है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 489 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि को मौके पर चल रही मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। साथ ही खसरा नम्बर 490 की भूमि को खसरा नम्बर 489 के दक्षिणी तरफ की बजाय उत्तरी तरफ मौका स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है।

2. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 489 व 490 को दुरूस्त नही करवा सकते है क्योकि प्रार्थीगण उक्त दोनों खसरों के खातेदार नहीं है और जहां तक खसरा नम्बर 489 के तथ्यों की बात है तो खसरा नम्बर 489 गै0मु0 सडक है और जो काफी लम्बी चौडी सडक है जो सावर्जनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है एवं खसरा नम्बर 490 जो कि नगरपालिका जैतारण के अधिनस्थ है और जिसका क्षेत्रफल भी 1.6916 हैक्टयर है तो प्रार्थीगण जिनका इन दोनो खसरो मे कोई हक अधिकार नही है तो उनको दुरूस्त नहीं करवा सकते है। प्रार्थीगण को अपनी जमीन के बारे में यदि कोई त्रुटि हो तो दुरूस्त करवा सकते हैं उनकी भूमि के मानचित्र मे कोई गलती हो तो उसको दुरूस्त करवा सकते है अन्य भूमिया जो उनके हक हिस्से की नही है उनके नाम का टाईट्ल नही है ऐसी भूमियो को प्रार्थीगण दुरूस्त नहीं करवा सकते है।

3. तहसीलदार जैतारण के पत्रांक/भू.अ./22/3707 दिनांक 06.06.2022 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 495/3, 495/4 वादीगण की खातेदारी भूमि है। राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण के खसरा नम्बर 495/3, 495/4 के समीप उत्तरी दिशा में नगरपालिका जैतारण की खसरा नम्बर 490 भूमि स्थित है। इसी नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 490 में पक्की डामर सड़क एनएच458 की तरफ जाती है, जो कि वादीगण के खसरा नम्बर के लगते हुये है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 489 गै.मु. रास्ता नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 490 के उत्तरी दिशा पर स्थित है। किन्तु मौके पर रास्ता नगरपालिका की भूमि पर चल रहा है।

4. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपने जवाब प्रा0पत्र में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रार्थीगण को अपनी जमीन के बारे में यदि कोई त्रुटि हो तो दुरूस्त करवा सकते हैं उनकी भूमि के मानचित्र में कोई गलती हो

सत्यमेव जयते
जैतारण, जिला-पाली

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण

तो उसको दुरूस्त करवा सकते है एवं तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रा0पत्र में नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 490 में पक्की डामर सड़क एनएच458 की तरफ जाती है, को बताया गया है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 489 गै.मु. रास्ता नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 490 के उत्तरी दिशा पर स्थित है। किन्तु मौके पर रास्ता नगरपालिका की भूमि पर चल रहा है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रा0पत्र एवं प्रार्थीगण के हस्तगत प्रा0पत्र में किये गए कथनों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी का नाप-चौंप व सीमाज्ञान न होने एवं भूमि के मानचित्र को दुरूस्त नहीं किये जाने से विवाद की स्थिती सम्भव है।

अतः हम हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 495/4 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 495/3 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं इससे लगती अन्य आराजी खसरा नम्बर 490, 496, 497, 495/2, 494, 489 के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है। इसके कारण भू अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 495/4, 495/3 भू-अभिलेख में शुद्धि किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक समझते है, साथ ही शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 495/4, 495/3 भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू-नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, 131 एवं 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होर्ने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में स्थित है प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 495/4 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा नम्बर 495/3 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा अन्य चिपते हुए खसरा के मध्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए मौके पर नाप-चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थीगण के हर्जे-खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। भू-अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 495/4, 495/3, 489, 490 के भू-अभिलेख में शुद्धि किया जाना का आदेश दिया जाता है। साथ

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

ही शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 495/4, 495/3, 489, 490 भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अन्तर्गत भू-नक्शा में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 30/05/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)